1642 बजे

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति जी, इस विधेयक के बारे में बोलने के लिए हम बहुत परेशानी से खड़े हुए हैं। चूंकि कई सवाल इस विधेयक से उठते हैं जिनका जवाब नही मिल रहा है जैसे वेंकट स्वामी नाम का विधेयक है जो भूतपूर्व श्रम मंत्री रहे हैं, उनके नाम पर यह विधेयक पेश हुआ है जिसको उनके समर्थन की जो सरकार चल रही है, वह लेकर आई है। कल वेंकट स्वामी जी का यहां पर अत्यंत भाव पूर्ण भाषण हुआ। वह अपने दिल की पीड़ा और मजदूर आन्दोलन का जो उनका 40-50 सालों का अनुभव इस क्षेत्र में रहा है, उस अनुभव को यहां पर व्यक्त कर रहे थे। वहां तक हम समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बिल में सुधार होना चाहिए, यह बात भी बड़े आग्रह के साथ अपने भाषण में कही और यह भी कहा कि मंत्री जी इसको सदन में पास करने के पहले ही प्रस्ताव लायें, सुधार लायें, लोगों को साथ लेकर बैठें और उसको सुधारें। अब जिस बिल को उन्होंने स्वयं अपने दस्तखत से पेश किया था, इसका मतलब है कि वह बिल पेश करते समय उन्हें मंजूर नहीं था। कल यहां पर विवाद चला कि यह बिल क्यों आया, कैसे आया और यहां पर राम विलास पासवान जी बैठे हैं, उनका भी इस बिल को बनाने में एक अर्से से प्रयास रहा है। इसमें सुधार होना चाहिए, यह उनकी राय भी थी और जिस दल के वह नेता हैं, तो उस दल ने इस बिल के बारे में अपने घोषणा-पत्र में यह लिखा है, जिसको कल मैंने पढ़कर यहां पर रखा और बताया कि यह मजदूर विरोधी बिल है, इसमें मजदूर विरोधी बातें हैं जिनको सुधारने के बाद ही यहां पर इस बिल को लाना चाहिए। लेकिन कल उनको इतना टोकने के बावजूद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। मैं स्पीकर साहब का नाम नहीं लूंगा। अगर पीठासीन होते तो मैं कह देता।

(LL/1645/AS/LP)

लेकिन वह भी श्रम मंत्री थे, ऐसे कानून को लेकर उनकी भी ऐसी सोच रही है और मेरी यह मान्यता है कि वह भी इस विधेयक में सुधार चाहते हैं। जितने भी श्रम मंत्री रहे हैं, जिनके नाम पर यह बिल आया है, सभी लोग इसमें सुधार चाहते हैं। सी.पी.आई, और सी.पी.आई.एम. दोनों के सदस्य इस बिल में सुधार करने के लिए सदन में बोले। उन लोगों ने भी अपने-अपने संशोधन यहां पर दिए हैं। लेकिन जो बिल लाए हैं, उसको नहीं लाना चाहिए था। कल जब मैं खड़ा होकर चिल्लाने लगा तो मुझको बिठाने के लिए टोकने लगे। इस बिल में ऐसी कौन सी बात है जिसमे लोगों की राय एक है। इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ के लोगों की एक राय है कि यह बिल ठीक नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। वह किसका हाथ है? वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहां पर छिपी है जो इस विधेयक को सही रूप में इस सदन में आने से रोक रही है। इसका जवाब नहीं मिल रहा है।

इसलिए मैं पीड़ा से बोल रहा हूं। चूंकि हम लोग भी इस सदन में हैं। पक्ष है, विपक्ष है, अलग-अलग राय है। इस बारे में व्यक्त करने के भी अपने-अपने ढंग हैं। लेकिन कोई एक ताकत है जो इस सदन के अन्दर नहीं है। लेकिन उसकी इतनी पकड़ है कि सब लोग जो चीज करना चाहते हैं, वह ताकत उनको करने से हाथ पकड़कर रोक रही है। यह बात हम संसद में बैठे जो अलग-अलग दलों के लोग हैं, अति वाम पंथ से लेकर चाहे किसी भी दल का नाम लीजिए, हम लोगों को वह मालूम नहीं है। बात कुछ और आगे जाती है और वह यह है कि जब 1988 में यह बिल पहली बार राज्य सभा में पेटीशन कमेटी में लाया गया, जस्टिस कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में जो कमेटी है, नेशनल कैम्पेन कमेटी फॉर कंसट्रक्शन लेबर एन.सी.सी.सी.एल, इसकी ओर से एक याचिका आ गई। उस याचिका पर उस कमेटी में दो साल बहस चली। उस कमेटी के सामने श्रम विभाग के सचिव ने गवाही दी। अन्य सरकारी अधिकारियों ने गवाही दी। मजदूर नेताओं ने जाकर गवाही दी। सब लोगों की गवाही होने के बाद उस कमेटी की रिपोर्ट आई। वह रिपोर्ट 31 मई 1989 को आई। अब इस कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं, उसमें से एक-दो सदन के सामने रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सदन स्वयं अपने ऊपर कितना अन्याय कर रहा है। कंसट्रक्शन मजदूरों के ऊपर जो अन्याय है, उसे तो छोड़ दीजिए लेकिन स्वयं अपने ऊपर कितना अन्याय कर रहा है, यह सदन जरा इस बात को जान ले। इस सदन की गरिमा क्या बची है, यह सदन इस बात को भी जरा जान ले। मैं सब कुछ पढ़ रहा हूं। उसकी जो सिफारिशें हैं, उनमें से दो-तीन जुमले पढ़ूंगा। यह कमेटी कहती है:

> "This Committee, the National Campaign Committee for Central Legislation on Construction Labour, has also formulated a draft legislation, which, if enacted, should serve the interest of the construction workers. The draft legislation prepared by the Committee proposed a compulsory registration of all employers and workers, vesting of responsibility for determining and disbursement of wages through an autonomous body and the constitution of tripartite labour boards comprising of employers, construction workers and government agencies for looking into and regulating the service conditions of the construction workers.
>
> It also lays extra emphasis on the implementation aspect as the actual implementation of all social legislations in the country leaves much to be desired."

यह पेटीशन कमेटी की राय है, यह सर्वानुमति की राय है। आगे जाकर यह कमेटी कहती है:

> "Without going into the merits of the schemes proposed by the Campaign Committee, the Committee, that is, the Petitions Committee desired that the Ministry of Labour should take a

careful note of the suggestions made by the Campaign Committee and see to what extent these could be incorporated in the Bill already introduced in the Rajya Sabha.

(mmm/1650/hng-mmn)

इसमें सीधी सिफारिश की गई है। जो विधेयक का प्रारूप है और जो कम्पेन-कमेटी ने बनाया है तथा जो बिल उस समय राज्य सभा में पेश था, उसमें इसको कैसे जोड़ा जाए, यह सिफारिश की गई है।

"Further, even after the passage of the Bill and at the time of framing detailed rules for implementation of the provisions of the Bill, the Campaign Committee may be involved in the process of consultation so that the objectives underlying the measure could be implemented in letter and spirit."

The last recommendation of the Committee is:

"From the Statement of Objects of the Bill introduced in Lok Sabha, the Committee find that the present Bill will apply only to establishments which employ or have employed 50 or more building workers in any building or other construction work".

जून 1988 का यह विधेयक और सारा मामला पेटिशन कमेटी के सामने आता है, जो सभी के विचारों को सुनती है। सारे के सारे अधिकारी जाकर अपनी गवाही देते हैं। कमेटी कहती है कि पचास से अधिक जो कर्मचारी हैं, उन्हीं के लिए यह विधेयक लागू हो रहा है।

"Thus, all establishments employing less than 50 workers will presumably be beyond the purview of the present Bill. Thus the workers employed by private persons and institutions for construction work will not be entitled to any benefit arising from this legislation if the total work force employees is less than 50. As against this, the scheme formulated by the Campaign Committee seeks to cover all construction workers wherever they may be employed. The scope of the legislation formulated by the Campaign Committee would thus appear to be more comprehensive and wide ranging. It is in this context that the Committee i.e. the Petitions Committee - desire that the legislation proposed by the Campaign Committee may be examined and considered and all good features thereof may be suitably incorporated in the Government Bill."

यह उस समिति की सिफारिश है, जो सरकार के हाथों में रही है। इससे इन्कार करने का आपको अधिकार नहीं है। सदन की समिति है। अंत में समिति ने लिखा है:

"The Committee, therefore, recommend that the Bill pending in the Rajya Sabha be withdrawn and a fresh comprehensive Bill be introduced so as to cater to the long-felt demands of a hitherto neglected segment of the working-class."

समिति की दो सिफारिशें हैं। मेरे विचार से नेशनल-कम्पेन-कमेटी के सारे जुमले इस विधेयक में आने चाहिए और पचास की जो सीमा बांधी है, वह सीमा नहीं रहनी चाहिए। राज्य सभा में जो विधेयक पेश है, उसको वापिस लेना चाहिए और एक कम्प्रिहैंसिव विधेयक सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। महोदय, अब यदि यहां पर कोई कहे कि यह तो पैटिशन कमेटी है और अगर कोई पैटिशन कमेटी की अवहेलना करता है, तो इस का मतलब है कि वह इस सदन की अवहेलना करता है। वह सदन का अपमान करता है और इसके अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं है। कौल-एंड-शकधर की किताब को लेकर हर रोज सदन में विवाद होता है, इस किताब के पेज-730, 1991 का एडिशन, में कहा गया है:

"In the case of petition on matters of general public interest, the Committee reports to the House giving the facts as stated by the petitioner, the comments of the Ministry concerned obtained thereon and their conclusions or recommendations. The recommendations of the Committee may be that the petitioner's suggestion in toto ought to be implemented or that the petitioner's suggestion in the form modified by or acceptable to the Committee ought to be implemented".

महोदय, इसको किस तरह से स्वीकार करना है, किस तरह से अमल करना है, कैसे विधेयक को वापिस लेना है, कैसे सुधारे हुए विधेयक को, काम्प्रिहैंसिव विधेयक को इस सदन में लाना है, लेकिन हुआ यह है कि आप उसी को ले आए हैं। सात साल बीत गए, तीन-चार श्रम मंत्री हो गए, लेकिन आप उसी विधेयक को ले आए हैं। मैं पूछता हूं, क्या इस सदन की यही गरिमा है, क्या हम लोग इस सदन की एक समिति की यही इज्जत कर रहे हैं?

(nnn/1655/sb-tkd)

अगर इस सदन की कमेटी की राय, यानी इस सदन की राय इस सदन को ही मंजूर न हो तो फिर देश में इस सदन की बड़ी गरिमा बनी रह सकेगी, ऐसे स्वर अनेक बार दोनों तरफ से आ जाते हैं इनका क्या अर्थ है? हम लोग अपनी इज्जत करना नहीं जानते हैं तो दुनिया क्यों हमारी इज्जत करे। इसलिए इस विधेयक को लेकर हम लोग कहां आ कर पहुंचे हैं, मुझे इस बात से बड़ी पीड़ा है। यह मामला हल्के ढंग से इस सदन में नहीं लेना चाहिए। जो सबसे निराधार मजदूर हैं केवल उनका सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले इस सवाल को छेड़ा है कि कौन वहां पेटीशन कमेटी को पकड़ रखता है, इस सदन को पकड़ कर रखता है, सदन के हर बाजू को पकड़ कर रखता है और जो सब

के मन की इच्छा है वह इच्छा पूरी नहीं होती है। वह कौन सी ताकत है? क्या हिन्दुस्तान के बिल्डर्स की लॉबी है, जो अरबपति नहीं हैं बल्कि खरबपति हैं, क्या उनकी लॉबी है? वह कौन सी ताकत है, इसकी खोज अगर यह सदन किसी रूप से करे, चाहे व्यक्तिगत तौर पर करे या सामूहिक तौर पर करे कि वह कौन सी ताकत है जो इन मजदूरों को इंसाफ देने से रोक रही है तो हम समझते हैं कि यह जो आज यहां हम लोग बहस कर रहे हैं यह सार्थक होगी वरना इसका कोई अर्थ नहीं होगा।

इस विधेयक में संशोधन करें या इसको सलैक्ट कमेटी के पास भेजें आदि-आदि सवाल हैं और ये बातें भी यहां पर आई हैं कि कौन से संशोधनों को स्वीकार किया जाए या इस बिल को किस तरह से यहां से पास करके फिर इसको सुधारा जाए, ऐसी कई बातें आई हैं। लेकिन मैं एक-दो बातें इस विधेयक को लेकर साफ कहना चाहता हूं। यह जो विधेयक है, सेस के साथ जुड़ा हुआ जो विधेयक है, इसमें हम एक सुधार चाहेंगे, अगर मंत्री जी इस विधेयक को पास कराना चाहते हैं। हम से हमारे कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि जैसे कल हाउस डिवाइड किया था, आज फिर इस विधेयक पर विरोध करना है, डिवाइड करना है। मुझे कुछ बातों पर लगता है कि डिवाइड करना ही पड़ेगा या तो विरोध करना पड़ेगा और उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा। चूंकि एक रुपया और वह भी एक रुपया नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं सब लोग एक रुपया कह रहे हैं। इसमें लिखा है,

Not exceeding one per cent.

वह जो हाथ है, जो इस विधेयक में असलियत को लाने से रोक रहा है कल वह हाथ काम नहीं करेगा, इसका क्या भरोसा है?

It can be half per cent, it can be quarter per cent.

अगर मैं इस देश की व्यवस्था को जानता हूं,

Not exceeding one per cent, it can be half per cent.

लेकिन बाद में हम लोग जो भी चिल्लाएं वह बाहर का चिल्लाना होगा उससे कोई फर्क किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। आज जो इस विधेयक को आप इस रूप में ही पास कराना चाहते हैं, इसमें सुधार लाने से रोक रहे हैं। बाकी क्या संशोधन होंगे या इस विधेयक को किस रूप में अंत में पास करना चाहेंगे, वह आप तय कर लीजिए।

It will be a quarter per cent. You make no mistake of it.

Not exceeding one per cent, not less than two per cent.

यानी तीन-पांच हो सकता है, अगर मार्ग खुला हो लेकिन दो से कम कतई नहीं हो सकता है इस निर्णय पर आप आइए। औरों के मन में जो भी बात हो लेकिन हमारा मन इस विधेयक के

पक्ष में बोलने के लिए हमें नहीं छोड़ेगा। सौ रुपए में एक रुपया, एक सम्माननीय सदस्य ने हमसे सुबह बात की वह हमसे बोले कि आप कल इस विधेयक के बारे में इतने उत्तेजित थे लेकिन यह जो एक परसेंट आएगा तो यह मकान बनाने का दाम बहुत बढ़ाएगा, यानी सौ रुपया आपका लगेगा उसमें एक रुपया देना है। हजार रुपया लगेगा तो दस रुपए देने हैं, दस हजार रुपए में सौ रुपए सेस के तौर पर देने हैं, जिससे उस गरीब मजदूर को कहीं चोट लग जाए, मर जाए तो उसके जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ इंतजाम होगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं होना है और उसके लिए भी रोना है।

Not exceeding one per cent.

(ooo/1700/har/krr)

सभापति महोदय, एक परसेंट यानि सौ रुपए पर एक रुपये का प्रावधान किया गया है। जब आदमी सौ रुपए का खाना खा सकता है तो वह एक रुपया बैरे के हाथ में भी दे सकता है लेकिन आजकल एक रुपया बैरा भी नहीं लेगा। लेकिन एक रुपया वह दे सकता है। श्री चागला बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस चागला के सामने जब मजदूरों को बोनस देने न देने, कारखाना चलाने न चलाने के संबंध में केस आया था तो उनका जजमेंट है कि जो 8.11 परसेंट बोनस नहीं दे सकता है वह अपना कारखाना या मिल बंद करके चला जाए। उसको कारखाना चलाना नहीं आता है। हम दो परसेंट की मांग कर रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा संभव हो तो वह भी देना चाहिए। दो परसेंट हम मांगते हैं, इस पर समझौता नहीं हो सकता है।

श्री रमेश चेन्निथला (कायमकुलम) :आपने अमेंडमेंट दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज :हमने अमेंडमेंट नहीं दिया है।

Clause 6 of the Bill says and I quote :

> "Notwithstanding anything contained in this Act, if the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do in the public interest, it may, by notification in the Official Gazette and subject to such conditions, if any, as may be specified therein, exempt any employer or class of employers from the payment of the cess payable under this Act ....."

Mr. Minister, you underline the words "public interest".

यानि आपने यह भी अधिकार ले लिया कि सरकार के मन में, अधिकारी के मन में यह बात आ जाए क्योंकि आखिर में नीचे का कोई सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर ही इसको चलाने वाला है, मंत्री थोड़े ही निगरानी रखने वाले हैं।

Notwithstanding anything contained in this Act, this Act can be made redundant. It is as simple as that.

सीधी बात है कि बिल्डिंग मजदूरों से ज्यादा पब्लिक इंट्रेस्ट भारत में और किसका हो सकता है। आज हम सभी दल इस बिल के संबंध में बहस कर रहे हैं।

In whose interest is it? Which is the public in whose interest you want to deprive the building workers even of that less than one per cent cess that you may finally decide to impose if the law is passed as it is?

1703 बजे (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जी.वेंकट स्वामी (पेद्दापल्ली) : यह एक परसेंट के बारे में जो बहस कर रहे हैं इसमें 99 परसेंट बिल्डिंग मजदूर गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इसमें सरकार का क्या योगदान है, क्या परसेंट है? मेरा सुझाव श्री जार्ज फर्नान्डीस से यह है कि इस Cess के अंदर दो परसेंट का योगदान सरकार का भी होना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) :मुझे मंजूर है। आप यहां पर नहीं थे। मैंने आपसे ही बात शुरू की थी। आपके इतना चाहते हुए भी यह सब नहीं हो पाया है क्योंकि कोई ताकत इसके पीछे है जो यह नहीं करने दे रही है। यदि फिर आप उस जगह पर बैठ जाएंगे और यदि यह कानून तब तक पास नहीं होगा, तो आपको भी इसे ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि कोई हाथ है जो सबको रोक रहा है।

श्री जी.वेंकट स्वामी :मिनिस्टर बोलने वाले हैं, आप मेरी बात तो सुनें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज :अरूणाचलम जी को मैं क्यों दोष दूं। अब जब सी.पी.आई, सी.पी.एम. की यह हालत है तो औरों की बात क्या कहूं। इस विधेयक को पढ़ते समय मुझे यह लगा कि इसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। यह यहां पर आर्डिनेंस के तौर पर लाया गया है। आर्डिनेंस के तौर पर लाते समय कहा गया है कि

As Parliament was not in session and in view of the urgency felt by the Government for meeting the long-standing demand for the aforesaid legislation....

यह स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्शन एंड रीजन में लिखा है और इस पर आपके दस्तखत हैं।

(ppp/1705/san-am)

In view of the urgency felt by the Government for meeting the long-felt demand for the aforesaid legislation...(Interruptions).

श्री जी. वेंकटस्वामी :20 साल हो गए हैं।

SHRI GEORGE FERNANDES: It has been going on for 20 years and no urgency was felt.

1988 में राज्य सभा में आ गया। उस पर कमेटी में सारी बहस हो गई। कमेटी ने सिफारिशें की। सात साल सिफारिश कर सब सो गए। अब एकाएक यहां पहुंच गया।

Urgency felt by the Government for meeting the long-felt demand for the aforesaid legislation.

नीयत के सामने प्रश्न चिन्ह लगता है। जो कहा जाता है और किया जाता है, उसमें बहुत बड़ा अन्तर दिखायी देता है। ऐसा दिखायी देने का मुख्य कारण यह है कि स्टेटमेंट आफ ऑबजैक्ट्स ऐंड रीजन्स में बहुत भारी मजदूरों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। यह संवेदना 25-30 साल कहां थी? अगर इतनी चिन्ता आज हो गई तो जिन लोगों ने इसे ड्राफ्ट किया और आग्रह के साथ यहां लाए, वे 25-30 साल से कहां थे।

Building and other construction workers are one of the most numerous and vulnerable segments of unorganised labour in India. The building and other construction workers are characterised by the inherent risk to their lives and limbs. The work is also characterised by its casual nature, temporary relationship between the employer and the employee, uncertain work hours, lack of basic amenities and inadequacy of welfare facilities.

श्री जी. वेंकटस्वामी : इसमें क्या गलत है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बिल्कुल सही है लेकिन कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। जब यह बात मन में थी तो फिर सात साल इसको क्यों कबर्ड में बंद रखा गया, क्यों नहीं लाए। इसलिये ये केवल शब्द हैं, उनका सार नहीं है। ये शब्द दिल से नहीं आ रहे हैं, ये जुबान से आ रहे हैं, हमें यह परेशानी है। हमारी परेशानी इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसका अमल भी इसी तरह से होगा। यहां कथनी और करनी में अन्तर दिखायी देता है। मुझे ऐसा लगता है कि वही अन्तर अमल में नजर आयेगा।

मैं 1-2 क्लॉसेज पर आपत्ति उठाते हुए श्रम मंत्री जी से कुछ ठोस सवाल भी करना चाहता हूं। पहला यह है कि

Please refer to the last two lines of Section 2(1)(d) of the Act which defines 'building and other construction work'. It says :

"... but does not include any building or other construction work to which the provisions of the Factories Act, 1948, or the Mines Act, 1952, apply;"

Why do you want to exclude them?

आज माइनिंग का निजीकरण हो रहा है। अगर सरकारीकरण भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। सरकार कौन सी दयालु मालिक है। वह तो सबसे खतरनाक मालिक है।

Why do you want to exclude building and other construction works to which provisions of the Factories Act apply.

इसमें किन को बचाने की कोशिश है? कानून में कई ऐसी चीजों का अगर सुधार न हो तो उसका विरोध होगा। हम उसमें आपका साथ नहीं दे पाएंगे।

Here we are not seeking powers. Even in the basic laws, you are excluding all those construction workers who are engaged in construction doing works to which the provisions of the Factories Act or the Mines Act apply. Please remove this. Further, Section 2(1)(j) gives the definition of 'establishment'. It states :

"Establishment" means any establishment belonging to ... but does not include an individual who employs such workers in any building or construction work in relation to his own residence."

(qqq/1710/skb-ksp)

अब मुझे उसमें आपत्ति इसलिये है कि आजकल रेजीडेंस का मतलब 5-5 करोड़ रुपये के मकान पटना में दर्जनों खड़े हो रहे हैं। इसमें सैंकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसे दर्जनों नहीं,सैंकड़ों मकान खड़े हो रहे हैं। यहां पर एक-एक सेठ का मकान महल की तरह है। फार्म हाउस हमने कभी देखा नहीं, इसलिये इस बारे में नहीं कह सकते। दिल्ली की महा कालोनियों में लोगों के जो मकान हैं, वे वकील,डाक्टर्स इंजीनियर्स, राजनैतिक नेता के भी हो सकते हैं। इनके मकान क्या हैं? एक करोड़ रुपया तो उनके लिये कुछ नहीं है। जब करोड़ रुपये का मकान बनायेगा तो एक लाख रुपया असैस में नहीं निकलेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Try to conclude.

SHRI GEORGE FERNANDES: I am concluding, Sir.

एक लाख रुपया तो असैस का उनसे निकालेंगे नहीं। वह जिस तरह से लूट के पैसे से मकान बनाकर प्रापर्टी खड़ी करने जा रहा है तो गरीब को उसका हक दिया जाये और वह हक चोरी

का नहीं, उसकी मेहनत और पसीने का है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस चीज को आपको हटाना होगा वरना हिन्दुस्तान मे जो मालिक हैं, वे इस प्रकार का तिकड़म करेंगे जिससे कि आधे को, जो प्रोविजो आपने इसमें दिया है, उससे हटा देंगे। कुछ लोगो को फैक्ट्रीज एंड माइन्स एक्ट के आधार पर हटा देंगे और जो 50 की सीमा लगाई है, उसको आप हटाईये। कुछ भी रखने की जरूरत नही है क्योंकि आप एक चीज को जान लीजिये। आप जानते है कि मैं छत्तीसगढ़ के कारखानेदारों को जानता हूं जहां पर मैंने लड़ाइयां लड़ी है। उस लड़ाई में हमारा एक साथी शंकर नियोगी मारा गया, अनेक मजदूर मारे गये। शराब का धंधा करने वाले बड़े बड़े सेठ हैं। देश मे गरीबी कैसे हटाई जाये, आज बड़े बड़े बैनर्स सड़को पर लगाते हैं लेकिन अपने कारखानो मे कैसे मजदूरो का शोषण करते हैं, इसका हमे अनुभव है कि कैसे उनका अनुचित शोषण होता है। हर मजदूर ठेकेदार है। Every employee is treated as a contractor. He has an individual contract of employment. What will prevent these... (Expunged as ordered by the Chair) from doing that? What will prevent any contractor .. (Expunged as ordered by the Chair) from doing that?

इसलिये कोई लूपहोल मत छोड़िये। एक एक मजदूर कांट्रेक्टर होगा मकान पर आने से पहले एक बांड पर साईन करना पड़ेगा. I am a contract employee. मैं स्पैस्फिक कांट्रेक्टर हूं,एम्पलाई नहीं हूं। मैं अमुक काम कर दूंगा और शाम को 100 रुपये या 50 रुपये ले जाऊंगा।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) :...

अन-पार्लियामेंटरी तो नही है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) :... (Expunged as ordered by the Chair) is a word of affection and regard. I always call you a good... (Expunged as ordered by the Chair) Have not I called you a... (Expunged as ordered by the Chair) many times, Ramesh?

तो इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुधार करना होगा। यह 50 की सीमा बांधकर यह कानून पास नही हो सकता। कल श्री वेंकट स्वामी जी ने जो बात यहां रखी, उसमे सुधार करने के लिये कहा तो यह बिल अभी पास मत करिये। बहस चलाईये। यह समाप्त होने के बाद शाम को सब लोगो को बैठाकर बात करिये। यदि आज कुछ लोगो का प्रोग्राम हो तो कल सुबह नौ बजे सब को बुलाकर बैठाईये। इसमें सभी लोग बैठकर तय करेंगे कि बिल

में क्या सुधार हो सकता है। इसके बाद ही इस बिल को पास करिये। यदि मंत्री जी नहीं कर पायेंगे विवाद तो विवाद बने रहेंगे। जो नतीजा निकलना होगा, वह नहीं निकल पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी एक बात कहकर समाप्त करूंगा।

Section 16 of the Act says:

> "A building worker who has been registered as a beneficiary under this Act shall, until he attains the age of 16 years,..."

Now mark those words, Mr. Minister.

> "... contribute to the fund at such rate per mensem, as may be specified by the State Government by notification in the official gazette and different rates of contribution may be specified for different classes of building workers."

(rrr/1715/hcb/rc)

मेरा जवाब है इसके लिए -- नहीं। Why should the worker contribute? That man has no benefit of any kind. कोई भी सुविधा आज उसको नहीं है। वह सड़क पर सो रहा है। आपकी जो आर्थिक नीति है और जो बजट आया है, भले ही उधर के लोगों ने बजट का समर्थन किया हो, लेकिन उससे आने वाले दस सालों में भी उसको मकान बनाकर आप नहीं दे सकते है। उसके बच्चे सड़क पर मिट्टी खाकर मरते हैं और आप उससे पैसा लेंगे! not exceeding one per cent और उनके ऊपर भी सैस लगाकर उनसे भी पैसा वसूल हो गया। यह नहीं हो सकता। cess will come from the employers. अगर आपके मन में आज के दिन भी उनसे 1 प्रतिशत लेने की बात हो तो किसी एक माननीय सदस्य ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से सरकार अपना हिस्सा देने का काम करे, लेकिन इन मजदूरों के पास 10-20 वर्षों में अगर मोटरगाड़ी या मारुति का इंतजाम करने में आपकी नयी व्यवस्था कामयाब हो गई तो वह भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, लेकिन आज के दिन उनसे कंट्रीब्यूशन लेना संभव नहीं होगा। मैंने तीन-चार संशोधन रखे हैं। अगर मंत्री जी किसी भी रूप में इनको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम इस विधेयक का संपूर्ण विरोध करेंगे। इस समय इस विधेयक का न तो मैं समर्थन कर रहा हूं और न विरोध कर रहा हूं। मंत्री जी पर इस बात को छोड़ रहा हूं कि हम समर्थन करें या न करें।

(इति)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, many suggestions have come from various Members. So, let there be a discussion. The passing of the Bill may be deferred. The Minister may call a meeting of all the political parties and have a discussion. Some of the good suggestions may be incorporated in the Bill and it could be passed unanimously.

श्री जी.वेंकट स्वामी (पेद्दापल्ली) : उपाध्यक्ष जी, कल मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि इस बिल को मैंने इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त मैंने ऑफिशियल्स से मीटिंग की कि इसमें बहुत खामियां हैं और इनको सुधारना चाहिए और सही बिल पेश करना चाहिए। उस वक्त ऑफिशियल्स का सुझाव था कि 20 साल हो गए हैं इस बिल को लाते हुए और अगर इसमें कुछ भी अमेंडमेंट आप लाएंगे तो फिर सारी मिनिस्ट्रीज को सर्कुलेट करेंगे, फिर बिल आने तक 20 साल और हो जाएंगे। अगर कुछ करना है तो यहां जब बहस होगी, बिल आएगा तो उस वक्त ऑफिशियली अमेंडमेंट लाने के लिए तय हुआ था। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से यह सजेशन आया था। मैं श्रम मंत्री को सजेस्ट करता हूं कि यहां पर ऐक्सपर्ट्स हैं, लेबर लीडर्स हैं। आप सभी पार्टियों के मेम्बर्स को बुलाएं और बातचीत करें। इस बिल को सुधारें और तब पास करें।

SHRI P. UPENDRA: Sir, I also support this contention. A number of suggestions have been made by many hon. Members. So, the Minister should call a meeting and invite, at least, those Members who have given amendments for discussion. Sir, if he wants, he could invite other leaders also... (Interruptions)

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): मैं भी इसका समर्थन करता हूं। ... (व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी इसका समर्थन करते हैं। इसमें जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए और एक कंप्रिहेन्सिव बिल लाया जाए। ...

(व्यवधान)

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : जब तक माननीय मंत्री जी इन संशोधनों पर विचार न कर लें तब तक इसे पास न करें। इस बिल को सुधार करके ही पास किया जाए। ...

(व्यवधान)

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): Sir, this Bill has to be passed before the end of this month as it has to be passed by the other House also...

(Interruptions)

SHRI P. UPENDRA: Sir, this Ordinance will lapse on 2nd August, 1996. That is why it has to be passed before 2nd August.

(sss/1720/sh-bks)

SHRI GEORGE FERNANDES: We can meet tonight or we can meet tomorrow. The hon. Minister can call a meeting tomorrow morning.

SHRI M. ARUNACHALAM: We can discuss tomorrow.

SHRI G. VENKAT SWAMY: The hon. Minister has agreed to the suggestion. ...

(व्यवधान)

महोदय, इसको डिसकस करके फिर इसको पास करें।

SHRI BASU DEB ACHARIA: Let it be postponed.

SHRI GEORGE FERNANDES: The hon. Minister can come forward with agreed amendments after meeting the Members.

SHRI RAMESH CHENNITHALA (KOTTAYAM): Let the discussion be over.

SHRI GEORGE FERNANDES: Yes, let the discussion be over.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, what is your reaction?

SHRI M. ARUNACHALAM: My view is, let us make a beginning in this direction, in the unorganised sector. I have an open mind to discuss with the hon. Members. I can come to the House tomorrow evening; we can discuss and pass it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Should we continue with the discussion?

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, we can take it up tomorrow evening and then pass it.

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, इस पर पहले बहस समाप्त हो जाए, मिनिस्टर का उत्तर और अमेंडमेंट एक साथ हो जाएगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, you have to specify the names of those hon. Members who have to be called to attend the meeting. Will it be only those Members who have given the amendments or any other Members?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can call only those Members who have given their names.